



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 107 राँची, बुधवार, 17 फाल्गुन, 1947 (श०)
18 मार्च, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2019

संख्या- स.क./अराज.स्था.-1/2006 - 2324-भारत का संविधान के अनुच्छेद - 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड राज्य के महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अधीन झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019 गठित करते हैं:-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

- यह नियमावली "झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019" कही जायेगी।
- इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा। यह नियमावली महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अन्तर्गत झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग के लिए लागू होगा।
- अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से यह नियमावली प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषा:-

- विभाग से अभिप्रेत है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग;

- (ii) संविधान से अभिप्रेत है भारत का संविधान;
- (iii) सेवा से अभिप्रेत है झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा;
- (iv) संवर्ग से अभिप्रेत है झारखण्ड बाल विकास सेवा अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग;
- (v) नियुक्ति प्राधिकार से अभिप्रेत है महिला पर्यवेक्षिका के मामलों में निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार से है;
- (vi) आयोग से अभिप्रेत है झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग;
- (vii) नियमावली से अभिप्रेत है झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति तथा सेवा शर्त) नियमावली, 2019;
- (viii) सरकार से अभिप्रेत है झारखण्ड की राज्य सरकार;
- (ix) राज्यपाल से अभिप्रेत है झारखण्ड के राज्यपाल;
- (x) निदेशक, समाज कल्याण से अभिप्रेत है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग में सरकार के निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय;
- (xi) "परियोजना" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास परियोजना;
- (xii) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक, समाज कल्याण, झारखण्ड;
- (xiii) "नियंत्रि पदाधिकारी" से अभिप्रेत है संबद्ध कार्यालयों से घोषित नियंत्रि पदाधिकारी;
- (xiv) "भर्ती वर्ष" से अभिप्रेत है केलेण्डर वर्ष (1ली जनवरी से 31 दिसम्बर);
- (xv) "विभाग" से अभिप्रेत है महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग;
- (xvi) "परीक्ष्यमान" से अभिप्रेत है सरकारी सेवक, जो इस संवर्ग की किसी मौलिक रिक्ति में या उसके विरुद्ध परीक्ष्यमान रूप से नियोजित हो;
- (xvii) "वरीयता सूची" से अभिप्रेत है झारखण्ड बाल विकास अराजपत्रित कर्मचारी (महिला पर्यवेक्षिका) सेवा संवर्ग के पदों की वरीयता सूची जो नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि को संधारित हो या उसके बाद कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों के अनुसार पुनरीक्षित हो।

3. सेवा/संवर्ग की रचना एवं बल:-

(क) इस संवर्ग में निम्न कोटि के पद होंगे:-

क्र०सं०	पदों का नाम	वेतनमान	सेवा समूह	श्रेणी
1.	महिला पर्यवेक्षिका	PB-II 9300-34800, GP-4200	ख	अराजपत्रित

नोट:- कोटि के वेतनमान एवं समूह वही होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किये जायेंगे।

- (ख) अधिकृत बल - इस सेवा संवर्ग के अन्तर्गत पदों के अधिकृत बल वही होंगे जो समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत किसी कार्यालय जैसे- जिला समाज कल्याण/समेकित बाल विकास परियोजना के लिए वर्तमान अधिकृत बल है या इस सेवा हेतु समय-समय पर स्वीकृत की जाये।
- (ग) विभिन्न कोटि के पदों की अनुमान्यता:- प्रशासी विभाग अपने नियंत्रण के अधीन इस संवर्ग में आवश्यकता के आधार पर संरचना एवं प्रोन्नति के पदों का निर्धारण करेंगी।

अध्याय-2 भर्ती/नियुक्ति

4. **इस सेवा/संवर्ग में नियुक्ति अधिकारी:** - महिला पर्यवेक्षिका के मामलों में निदेशक, समाज कल्याण, निदेशालय, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड नियुक्ति अधिकारी होंगे।
5. **रिक्तियों का नियतीकरण:** - प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष की 1ली जनवरी को आधार तिथि मान कर समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।
6. **रिक्तियों में आरक्षण:** -
 (क) सीधी भर्ती- झारखण्ड सरकार द्वारा लागू आरक्षण संबंधी सभी नियम एवं रोस्टर प्रभावी होंगे।
 (ख) प्रोन्नति- प्रोन्नति हेतु विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रवृत्त अद्यतन आरक्षण संबंधी सभी नियम/आदेश लागू किया जायेगा।
7. **राष्ट्रीयता:** - भारत का नागरिक होना अनिवार्य होगा।

अध्याय-3 सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति

8. **सीधी नियुक्ति की प्रक्रिया** - संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।
9. **सीधी नियुक्ति के लिए योग्यता/ अर्हताएँ** -
 (क) शैक्षणिक योग्यता -
 महिला पर्यवेक्षिका -कुल स्वीकृत पद के 75% पद पर नियुक्ति हेतु किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या गृह विज्ञान या बाल विकास विषयों के साथ महिला स्नातक।
 (ख) आयु सीमा - सीधी भर्ती के लिए उम्र निर्धारण हेतु कट ऑफ डेट अधियाचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी। इन सेवाओं में नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्रों/अनुदेशों के अनुरूप होगा।
 (ग) दिव्यांग अभ्यर्थियों के संबंध में उम्र सीमा में छूट कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों/अनुदेशों के अनुसार लागू होगा।
10. **रिक्तियों का संसूचन** - महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के 1ली जनवरी को आधार तिथि मानकर रिक्ति के अनुसार समय-समय पर अधियाचना कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के माध्यम से झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को सूचित करेंगे।
11. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा** - झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु नियमानुसार परीक्षा आयोजित कर मेधा सूची तैयार की जायेगी तथा सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

12. **परीक्षा का स्वरूप:-** संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली- 2017 के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।

अध्याय-4

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती

13. **नियुक्ति की प्रक्रिया-**राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निर्धारित किया जायेगा।
14. **नियुक्ति के लिए योग्यताएँ:-**
- (क) शैक्षणिक योग्यता - महिला पर्यवेक्षिका- 25% पद पर वैसी आंगनबाड़ी सेविकाएँ जो स्नातक हो तथा जिन्होंने आंगनबाड़ी सेविका के रूप में 10 वर्षों की संतोषप्रद सेवा पूरी की हो।
- (ख) अनुभव - स्नातक- 10 वर्षों की संतोषप्रद सेवा।
- (ग) आयु सीमा - उम्र निर्धारण हेतु कटअप डेट अध्यायचना वर्ष की 1ली अगस्त होगी।
अधिकतम उम्र सीमा:-
- | | | |
|---|---|---------|
| (i) अनारक्षित | } | 45 वर्ष |
| (ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची -1 | | |
| (iii) पिछड़ा वर्ग अनुसूची-2 | | |
| (iv) झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के लिये उम्र सीमा | | 50 वर्ष |
- (v) दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में अतिरिक्त पाँच वर्ष की छुट होगी। यह छुट 40% अथवा अधिक विकलांगता होने पर ही देय होगी। इस संबंध में सक्षम पदाधिकारियों द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र को ही आधार माना जायेगा।
15. **रिक्तियों का संसूचन -** निदेशक, समाज कल्याण द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1ली जनवरी को आधार तिथि मानकर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को सूचित किया जायेगा।
16. **आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की अनुशंसा -** सीमित प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियमानुसार आयोजित की जायेगी।
17. **परीक्षा का स्वरूप -** संदर्भाधीन पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचित झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर तकनीकी/विशिष्ट योग्यता वाले पद) संचालन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के आलोक में की जाएगी।

महिला पर्यवेक्षिका के लिए

परीक्षा दो पत्रों की ली जायेगी। प्रत्येक पत्र में 100 प्रश्न एवं परीक्षा अवधि 2 घंटा (एक पाली) होगी। दोनों पत्रों में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहु-विकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिये जायेंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी। परीक्षा की भाषा हिन्दी/अंग्रेजी होगी।

(क) प्रश्न पत्र 1 - विषय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान

इस विषय में अर्हतांक 30% है जो अनिवार्य है, जो उम्मीदवार इस विषय में 30% अंक प्राप्त नहीं करेंगे, उनके मुख्य परीक्षा के दूसरे विषय (सामान्य ज्ञान) प्रश्न पत्र-2 का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा। प्रश्न पत्र 1 में प्राप्त अंक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ की जायेगी। इस विषय में पाठ्यक्रम एवं प्रश्न की संख्या निम्नवत् होंगे:-

- | | | |
|--|---|-----------|
| (i) हिन्दी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न | - | 25 प्रश्न |
| (ii) हिन्दी व्याकरण से संबंधित प्रश्न | - | 25 प्रश्न |

(iii) अंग्रेजी अनुच्छेद (Comprehension) पर आधारित प्रश्न	-	25 प्रश्न
(iv) अंग्रेजी व्याकरण से संबंधित प्रश्न	-	25 प्रश्न
(ख) प्रश्न पत्र 2 - विषय सामान्य ज्ञान		
प्रश्न-2- सामान्य ज्ञान में विषय एवं प्रश्नों की संख्या निम्नवत् होगी:-		
(i) सामान्य अध्ययन, समसामयिक विषय, भारत देश एवं राज्य	-	50 प्रश्न
(ii) सामान्य विज्ञान	-	30 प्रश्न
(iii) मानसिक क्षमता जाँच	-	20 प्रश्न

अध्याय-5

प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति

18. **प्रोन्नति की प्रक्रिया:-** राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा, जो निम्नवत् है:-
 - (i) इस संवर्गीय संरचना में निम्नतर से उच्चतर पदों पर प्रोन्नति वरीयता-सह-योग्यता (Seniority-Cum-Merit) पर आधारित होगी।
 - (ii) प्रोन्नति हेतु पदों का कोटिवार (Grade Wise) कर्णांकन सक्षम नियुक्ति प्राधिकार द्वारा किया जायेगा।
 - (iii) प्रोन्नत कर्मियों की पारस्परिक वरीयता इस विषय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों/अनुदेशों के अनुरूप होंगी।
 - (iv) कालावधि - इस सेवा नियमावली के अधीन कार्यरत सभी कोटि के कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगा।
 - (v) प्रोन्नति हेतु आरक्षण के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
19. **वरीयता:-** इस सेवा संवर्ग के कर्मचारियों की पारस्परिक वरीयता एतद् विषयक कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के आलोक में निर्धारित होगी:-
 - (i) वरीयता नियुक्ति पदाधिकारी के स्तर पर संधारित होगी।
 - (ii) इस सेवा के कर्मियों की वरीयता झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तैयार एवं अनुशंसित मेधा सूची में वर्णित क्रमानुसार रहेगी तथा एक ही तिथि को नियुक्त कर्मियों की वरीयता उनकी जन्म तिथि के आधार पर या जन्म तिथि एक रहने पर नामों के प्रारंभिक अक्षर (अंग्रेजी वर्णवाला) के आधार पर निर्धारित होगी। साथ ही पूर्व से कार्यरत महिला पर्यवेक्षिकाओं की वरीयता उनके द्वारा पूर्व से धारित वरीयता के अनुसार अवधारित की जायेगी।
 - (iii) सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से नियुक्त कर्मी सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की तुलना में वरीय होंगे।
20. **रिक्तियों का नियतीकरण:-** समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

अध्याय-6**प्रोन्नति****21. प्रोन्नति का पद सोपान:-**

- (i) महिला पर्यवेक्षिका-झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली के प्रावधान के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत बल के 25% पद पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति दी जाएगी।

22. प्रोन्नति हेतु रिक्तियों का नियतीकरण:- समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों/परिपत्रों के आलोक में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा किया जायेगा।

23. कालावधि:- इस सेवा नियमावली के अधीन कार्यरत कर्मचारियों के प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के परिपत्र के अनुरूप होगा।

24. प्रोन्नति की प्रक्रिया:-

- (क) महिला पर्यवेक्षिका - झारखण्ड बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त) नियमावली के प्रावधान के अनुसार बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के कुल स्वीकृत बल के 25% पद पर महिला पर्यवेक्षिकाओं को प्रोन्नति दी जाएगी।

अध्याय-7**विविध**

25. परीवीक्षा:- महिला पर्यवेक्षिका के लिए कर्मचारी के प्रथम योगदान की तिथि से 02 (दो) वर्ष की अवधि होगी।

26. प्रशिक्षण:-

- (i) महिला पर्यवेक्षिका के लिए जॉब कोर्स एवं रिफ्रेशर कोर्स प्रशिक्षण।

27. विभागीय परीक्षा:-

- (i) महिला पर्यवेक्षिका के लिए हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा।

28. सेवा सम्पुष्टि:- परीवीक्षा अवधि तथा कार्यालय प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने के बाद कर्मचारी की सेवा संतोषप्रद पाये जाने पर उनकी नियुक्ति पदाधिकारी के द्वारा सेवा सम्पुष्टि की जायेगी। इसके लिए निम्नांकित अर्हताएँ होंगे:-

- (i) महिला पर्यवेक्षिका के लिए हिन्दी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा, जनजातीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होना। वेतन वृद्धि के लिए हिन्दी, टिप्पण प्रारूपण परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा।

29. प्रशासनिक नियंत्रण:- महिला पर्यवेक्षिका के मामलों में निदेशक, समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार का होगा।

30. अनुशासनिक कार्रवाई:- इस सेवा के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई निदेशक, समाज कल्याण, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2016 के अन्तर्गत की जायेगी।

31. पदस्थापन/स्थानांतरण:- संवर्ग नियंत्रण पदाधिकारी पदस्थापन/स्थानांतरण के लिए अधिकृत पदाधिकारी रहेंगे।

32. अवकाश/चरित्र पुस्ती/ सेवा पुस्त आदि के संबंध में समय-समय पर इस हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेश प्रभावी रहेंगे, इसके लिए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई संबंधित कार्यालय के कार्यालय प्रधान द्वारा की जायेगी।

33. सेवा की अन्य शर्त:-

- (i) इन पदों के लिए सेवा शर्त वही होगी जो राज्य सरकार द्वारा अन्य समकक्ष पदों के लिए निर्धारित है।
- (ii) महिला पर्यवेक्षिका का पद राज्य स्तरीय संवर्ग के होंगे।

34. प्रकीर्ण:-

- (i) अन्य ऐसे मामले जिनके संबंध में उपर के खण्डों में कोई उपबंध नहीं किया गया है, उनमें झारखण्ड सेवा संहिता अथवा राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू अन्य वैधानिक प्रावधान लागू होंगे। कर्मचारियों को विहित नियमों के अधीन यह सुविधा देने की शक्ति संवर्ग के नियंत्री पदाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी की होगी।
- (ii) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, अधिसूचना द्वारा इस नियमावली को विखंडित कर सकेगी या इस नियमावली के नियमों को स्पष्ट कर सकेगी या उसे करने में उत्पन्न त्रुटियों को दूर कर सकेगी।
- (iii) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की अधिसूचना द्वारा निर्गत कोई स्पष्टीकरण या कार्यपालक आदेश इस नियमावली का अंग माना जायेगा।

35. निरसन और व्यावृत्ति:-

- (i) इन नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व इस नियमावली के विषयों पर राज्य सरकार द्वारा बनायी गयी नियमावली या निर्गत कोई नियम विनियम अनुदेश/आदेश इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से निरसित माने जायेगे।
- (ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उल्लेखित आदेश द्वारा उसके अधीन व्यक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी कार्यवाई इस नियमावली द्वारा इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गयी समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्यवाई की गयी थी।
- (iii) महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग (प्रशासी विभाग) को यह शक्ति प्राप्त होगी की नियमावली के कार्यान्वयन में आनेवाली व्यवहारिक कठिनाईयों को परिमार्जित करने हेतु सरकार के अनुमोदन से इस नियमावली के किसी प्रावधान को संशोधित अथवा किसी प्रकार की शंका के निवारण हेतु निर्देश/परिपत्र निर्गत कर सकती है और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अमिताभ कौशल)

सरकार के सचिव।
